कार्यालय, नगर निगम, आदित्यपुर

सार्वजनिक सूचना

प्लास्टिक का वर्जण कर ''प्लास्टिक मुक्त झारखण्ड'' बनाये

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण परिषद ने अवगत कराया गया है कि 50 माईक्रोन से पतला प्लास्टिक का प्रयोग अवैध है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्लास्टिक उपयोग एवं प्रयोग को प्रतिबंधित घोषित किया गया है। प्लास्टिक के प्रयोग से जीव–जन्तु के अतिरिक्त मिट्टी एवं जल भी प्रदुषित होता है। प्लास्टि के कारण नाली जाम हो जाता है एवं यत्र तंत्र कचड़ा जमा हो जाता है। इसको जलाने से वायु भी प्रदुषित होता है। प्लास्टिक के तमाम बुराईयों के मद्दे नजर सरकार ने 50 माईक्रोन से पतला प्लास्टिक के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित घोषित किया है। इसके उपयोग/बिक्री/निर्माण या भंडारण दण्डनीय अपराध है।

अतः आदित्यपुरवासी, आमजनो, फेरीवाला/दुकानदारों/विक्रेताओं तथा निर्मताओं को सूचित किया जाता है कि प्लास्टिक का उपयोग/बिक्री/भंडारण बन्द करें तथा इसके स्थान पर ''कार्टन थैला' का ही उपयोग करें। उक्त क्रम में समस्त विद्यालय प्रबंधकों/सामाजिक/राजनितिक/एन0जी0ओ0 से भी आग्रह है कि कृपया अपने स्तर से प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराये ताकि इसका उपयोग पर प्रतिबंध लगे। अगर प्लास्टिक का उपयोग आवश्यक हो तो प्लास्टिक बैंग में 50 माईक्रोन का मुहर तथा निर्माता का नाम एवं **Recycled/Compostable** का लेबल अवश्य देखे।

आईए प्लास्टिक का सामुहिक त्याग करें एवं प्रदुषण मुक्त झारखण्ड बनाये।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, आदित्यपुर

ज्ञापांक ......971......

दिनांक ......28.4.15......

प्रतिलिपि : विज्ञापन प्रबंधक, दैनिक जागरण/उदितवाणी, आदित्यपुर, जमशेदपुर को अपने स्थानीय दैनिक सामाचार पत्र के एक अंक में न्यूनतम पठनिय साईज में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, आदित्यपुर